(17)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

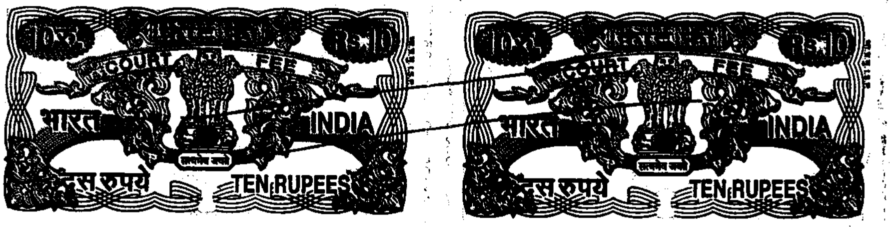

Rs. 20/-

त्रिलोकीनाथ पाण्डेय तनय श्री राजकरण राम उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम सतनरा पवाई तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0)——— आवेदक

बनाम्

म0प्र0 शासन ——————— अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्र0 26/अ–74/2014–15 आदेश दिनांक 18.05.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

निगरानी के निम्न आधार है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं न्यायदान सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण मूलतः निरस्त होने योग्य है।

2– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2828–दो/15 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी का प्रकरण क्रमांक 26/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील गोपद बनास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सतनरा पवाई तहसील गोपदबनास की भूमि खसरा क्रमांक 471 रकवा 0.809,473 रकवा 0.729, 502 करवा 0.101 496 रकवा 0.303 किता 4 रकवा 1.942 है0 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय सहित व्यवस्थापन कमेटी के सर्व सम्मति से आपेदक के पक्ष में राजस्व प्रकरण क्रमांक 675/अ–19/1975–76 आदेश दिनांक 20.12.1975 को पारित किया गया था उक्तांकित आदेश को न्यायालय कलेक्टर सीधी द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 179/निगरानी/78–79 में	

पंजीबद्व किया जाकर विधिवत सुनवाई के उपरांत प्रकरण को सूक्ष्म जांच के उपरांत अंतिम आदेश दिनांक 23.1.1979 को पारित किया गया तथा उक्त आदेश के आलोक में आराजी खसरा कमांक 471 एवं 473 को संबंध में पारित व्यवस्थापन आदेश आवेदक के पक्ष में कायम रखा गया एवं अन्य आराजियातों के संबंध में स्वमेव निगरानी स्वीकार की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक कई वर्षो से आबाद होकर कास्त कर रहा है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण कमांक 675/अ-19/75-76 आदेश दिनांक 20.12.75 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 179/निगरानी/78-79 आदेश दिनांक 23.1.79 के अनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3-आवेदक के अधिवक्ता तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील गोपद बनास के आदेश पत्रिका दिनांक 18.5.15 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण का निराकरण 1979 में हुआ था इतनी अवधि के उपरांत लगभग 36 वर्ष पश्चात आवेदन पर कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी का प्रकरण कमांक 26/अ-74/2014-15 में पारित आदेश

दिनांक 18.05.2015 स्थिर रखा जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य